राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर

Email ccf.ajmr.forest@rajasthan.gov.in ccf.ajmr.forest@gmail.com Tel no : 0145-2426740

क्रमांक एफ 11(40 भी)एफसीए / मुवस / 2021 28 22 दिनांक– 29/8/22

निमित्त,

अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान–जयपुर।

विषय:– Diversion of 2.76 ha.forest land in favour of PWD PMGSY-WB Division Shahpura(Bhilwara,Rajasthan) for Construction of SH-29km. 139/500 to Lorda Road under Rajasthan Road Sector Modernization Project. FP/ROAD/20888/2016

संदर्भ:– उप वन संरक्षक, भीलवाडा का 4838 दिनांक 21.07.2020 तथा पत्रांक 5759 दिनांक 01.08.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में इस कार्यालय द्वारा उप वन संरक्षक, भीलवाडा से प्राप्त शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की थी।

उक्त क्रम मे भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्रांक प 8 बी/राज/06/14/2018/एफ.सी./708 दिनांक 02.07.2020 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में जारी शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट के सम्बन्ध में तीन बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहा गया था।

उक्त बिन्दुओं ~~में~~ पर उप वन संरक्षक, भीलवाडा ~~से उक्त~~ ने सन्दर्भित पत्रों द्वारा स्पस्टीकरण प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विजय एन.)
मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।

कार्यालय उप वन संरक्षक, भीलवाडा

कमांक:एफ–( )एफसीए / उवस / 5759 दिनांक 1|8|22

श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।

3417
17/8/22

विषय :– Diversion of 2.76 Ha. of forest land in favour of PWD PMGSY-WB Division Shahpura (Bhilwara, Rajasthan) for construction of SH-29 km. 139/500 to Lorda Road under Rajasthan Road Sector Modernization Project FP/RJ/ROAD/20888/2016

प्रसंग :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय कार्यालय लखनउ के प. 8बी / राज / 06 / 14 / 2018 / एफ.सी. / 708 दि. 02.07.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि :–

1. प्रकरण में जिला कलक्टर, भीलवाडा के पत्रांक एफ–39–7(1)(सेअ)आरए / 2019 / 1646 दिनांक 3.6.2019 द्वारा वन विभाग को ग्राम राजपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा में वन विभाग के लिये आरक्षित की गयी भूमि बैंक आराजी नं. 874 रकबा 43.8376 है. में से 4.10 हैक्टर एवं 2.76 है. कुल रकबा 6.86 हैक्टर जिसका खसरा नं. 1185 / 874 है गैर वन भूमि उपलब्ध करायी गई है। जिला कलक्टर, भीलवाडा के आदेश उपरांत 4.10 हैक्टर एवं 2.76 है. कुल रकबा 6.86 भूमि का अमल दरामद दि. 4.6.2019 को वन विभाग के पक्ष में हो गया है। उक्त गैर वन भूमि 4.10 हैक्टर एवं 2.76 है. कुल रकबा 6.86 हैक्टर को दिनांक 8.7.2020 को वन विभाग द्वारा अपने तहवील सरकार ले ली गई है। प्राप्त गैर वन भूमि को आरक्षित / रक्षित घोषित कराने हेतु विज्ञप्ति प्रस्ताव उच्च कार्यालय को अग्रेषित किये जा चुके है। (फोटो प्रति संलग्न)
2. reasons of condonation of delay के संबध मे निवेदन है कि वांछित प्रकरण में बिना सक्षम स्तर पर स्वीकृति के वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य करने बाबत् इस कार्यालय के पं. 8241–44 दि. 22.10.19 द्वारा सहायक वन संरक्षक, माण्डलगढ को जॉच अधिकारी नियुक्त कर जॉच रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु लिखा गया साथ ही अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. (पी.एम.जी.एस.वाई वर्ल्ड बैंक) खण्ड शाहपुरा को इस कार्यालय के पं. 8245 दि. 22.10.19 से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लघंन करते हुए गैर वानिकी कार्य करने संबंधी रिपोर्ट चाही गई। सहायक वन संरक्षक, माण्डलगढ द्वारा पं. 6 दि. 19.2.2020 द्वारा जॉच रिपोर्ट प्रेषित कर माह मई 2019 पश्चात 1.50 हैक्टर वन भूमि में बिना सक्षम स्वीकृति के गैर वानिकी कार्य होने की रिपोर्ट प्रेषित की गयी।

आवश्यक
CA
1018

कृ.प.उ.....

बिना स्वीकृति गैर वानिकी कार्य कराने के संबंध में कार्यालय के पत्र कमांक 1798 दि. 18.3.2020 से यूजर एजेन्सी को मांग पत्र जारी कर दण्डात्मक राशि जमा कराने हेतु अनुरोध किया गया। जिला भीलवाडा में 19.03.20 से कफर्यू होने एवं कोरोना माहमारी मे लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न होने के कारण प्रकरण में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न हुई। तत्पश्चात यूजर एजेन्सी द्वारा अपने पत्रांक 442–446 दि. 9.5.20 द्वारा अवगत कराया गया कि दण्डात्मक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि दि. 8.5.20 को जमा करा दी गई है। बिना स्वीकृति गैर वानिकी कार्य कराने के संबंध में श्री प्रकाश चन्द शर्मा, वनपाल बिजौलिया को राजकार्य में लापरवाही बरतने के संबंध मे अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने एवं इसी प्रकार अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. (पी.एम.जी.एस.वाई वर्ल्ड बैंक) खण्ड शाहपुरा के पत्रांक 360 दिनांक 6.2.2020 द्वारा श्री आलोक शर्मा अधिशाषी अभियंता एवं पत्रांक 362दिनांक 6.2.20 द्वारा श्री हरि सिंह बैलदार के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। बिना स्वीकृति गैर वानिकी कार्य हेतु लीला शंकर पिता नारायण जी गुर्जर नि. भावपुरा भैसरोडगढ जिला रावतभाटा के विरूद्ध एफ.आई.आर. 80/22 दि. 6.10.2019 दर्ज की जाकर रसीद सं. 28/30 दि. 14.2.20 राशि 21000/– जुर्माना वसूल कर राजकोष में जमा कराया जा चुका है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में प्रशासनिक कार्यवाही एवं कोरोना माहमारी मे लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न होने के कारण विलम्ब हुआ है।

3. राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प. 1(357)वन/1997 पार्ट जयपुर दिनांक 13.1.2017 से गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 155000/– प्रति हैक्टर निर्धारित की गयी थी। श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राज.जयपुर के प. एफ–36 (9)93/वसु/प्रमुवसं/4323 दि. 4.1.2019 की पालना में गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु संशोधित राशि 164100/– प्रति हैक्टर से यूजर एजेन्सी द्वारा लिया जाना प्रस्तावित होने से तदानुसार राशि जमा करवाई गई है। राशि रू. 25116/–अतिरिक्त धनराशि प्राप्त नही की गयी है।

भवदीय,

(वीर सिंह)
उप वन संरक्षक,
भीलवाडा

संलग्नः–उक्तानुसार

क्रमांकःएफ–( )एफसीए/उवसं/ दिनाक

प्रतिलिपि अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,वन सुरक्षा एव नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राज. जयपुर ।

(वीर सिंह)
उप वन संरक्षक,
भीलवाडा

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांक एफ.39–7(1)(सेअ)/आरए/2019/1646 दिनांक 07.06.2019

: आदेश :

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ 39–7(1)(सेअ)/आरए/2014/1335 दिनांक 22.09.2015 से ग्राम राजपुरा ग्राम पंचायत तिलोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 763 रकबा 2.15 हैक्टर, आ0न0 874 रकबा 45.77 हैक्टर, आ0न0 875 रकबा 5.59 हैक्टर, आ0न0 912 रकबा 15.85 हैक्टर कुल कीता 4 कुल रकबा 69.36 हैक्टर वन विभाग हेतु वन भूमि लैण्ड बैक हेतु लैण्ड बैंक की स्थापना हेतु वन भूमि आरक्षित की गई।

अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. पी.एमजीएसवाई (वर्ल्ड बैंक) खण्ड शाहपुरा जिला भीलवाडा के पत्रांक 36 एवं 37 दिनांक 07.06.2018 के अनुसार बिजौलिया खुर्द से छतरीखेडा वाया मानगढ हेतु कुल रकबा 4.1 हैक्टर एवं एस. एच–29 से लोरदा हेतु कुल रकबा 2.76 हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु जारी एफ. आर.ए. प्रमाण पत्र दिनांक 03.07.2018 के संदर्भ में अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. के पत्रांक 20.05.2019 एवं उप वन संरक्षक भीलवाडा के पत्रांक 3786 दिनांक 22.05. 2019 के अनुसार उक्त वन भूमि के बदले ग्राम राजपुरा में आरक्षित वन भूमि लैण्ड बैक में से भूमि दिये जाने बावत निवेदन किया गया है।

अतः ग्राम राजपुरा तहसील आसीन्द की आरक्षित वन भूमि आराजी नम्बर 874 रकबा 43.8376 हैक्टर में से 4.1 हैक्टर एवं 2.76 हैक्टर कुल रकबा 6.86 हैक्टर भूमि वन विभाग को आवंटन की जाती है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1–उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द
2–उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा
3–तहसीलदार, आसीन्द
4–पटवारी हल्का तिलोली
5–रक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

(डी.पी. जागावत)
उप वन संरक्षक
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा जिला वृक्षारोपण

कार्यालय उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा

क्रमांक: एफ–( ) एफसीए / उवसं / 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक

श्रीमान् अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए, राज. जयपुर ।

विषय :– (1) Construction of Bijoliya Khurd to Chhatri Khera via Mangarh road under Rajasthan Road Sector Modernizatin Project FP/RJ/ROAD/20893/2016 and

(2) Construction of SH-29 Km 139/500 to Lorda road under Rajasthan Road Sector Modernizatin Project FP/RJ/ROAD/20888/2018)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विषयांकित उपरोक्त दोनों सडकों में प्रयोग की जाने वाली वन भूमि के विरुद्ध आवंटित गैर वन भूमि जिला कलक्टर, भीलवाडा के पत्रांक एफ–39–7(1)(सेअ)आरए / 2019 / 1646 दिनांक 3.6.2019 (प्रति संलग्न) द्वारा वन विभाग को ग्राम राजपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा में वन विभाग के लिये आरक्षित की गयी भूमि बैंक में से उपलब्ध करायी जाकर विभाग द्वारा अपने अधिकार में ले ली गई है। जिला कलक्टर, भीलवाडा के आदेश उपरांत भूमि का अमल दरागद दि. 4.6.2019 को वन विभाग के पक्ष में हो गया है।

जिला कलक्टर, भीलवाडा के आदेश एवं जमाबन्दी की प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(ज्ञानचन्द)
उप वन संरक्षक
भीलवाडा

क्रमांक: एफ–( ) एफसीए / उवसं / 5850 　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक 22/7/19

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. पी.एम.जी.एस.वाई (वर्ल्ड बैंक) खण्ड शाहपुरा (भीलवाडा)।

(ज्ञानचन्द)
उप वन संरक्षक
भीलवाडा